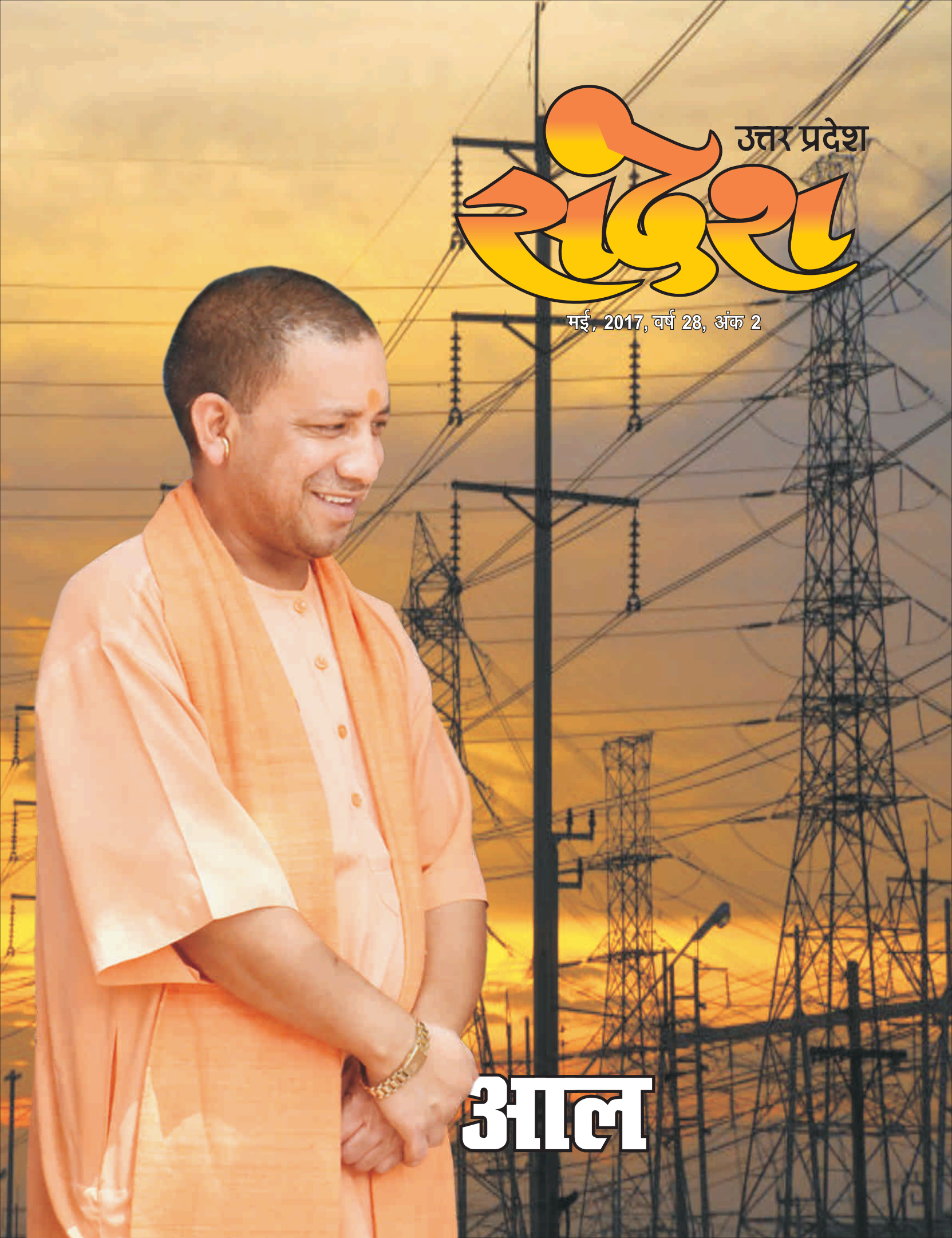

उत्तर प्रदेश संदेश

मई, 2017, वर्ष 28, अंक 2

आल

मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ से राज्य मंत्री, सूचना डॉ.नीलकंठ तिवारी
विभागीय कार्यो के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए

राज्य मंत्री (सूचना) डॉ. नीलकंठ तिवारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के
निर्माणाधीन भवन का स्थलीय निरीक्षण करते हुए

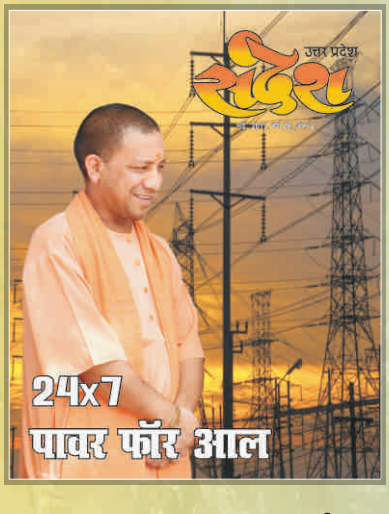

उत्तर प्रदेश संदेश

मई, 2017
वर्ष 28, अंक 2

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
सुधेश कुमार ओझा
सूचना निदेशक,
उत्तर प्रदेश

सम्पादकीय परामर्श :
अशोक कुमार बनर्जी, संयुक्त निदेशक
हेमन्त कुमार सिंह, उप निदेशक

सम्पादक :
चन्द्र शेखर यादव

सज्जा :
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गांव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग,
लखनऊ

छायाचित्र :
फोटो शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.

मुद्रक :
पवन कुमार गोयल
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गाँव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग
लखनऊ

उत्तर प्रदेश
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की
रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

■ **समग्र विकास** 01
■ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ....
■ सर्व समाज के कल्याण हेतु ....

■ **आवरण कथा** 7
■ प्रत्येक ग़रीब, दलित और वंचित ....
■ बिजली उपभोक्ताओं को राहत ....

■ **क़ानून व्यवस्था** 11
■ एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स ....
■ मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर मण्डल ....

■ **समाज कल्याण** 14
■ समाज कल्याण की विभिन्न ....
■ मातृ, शिशु एवं किशोरियों के ....
■ लाभार्थियों की पात्रता को भली ....

■ **कृषि शिक्षा** 20
■ सरकारी पदों पर भर्तियों के ....
■ कृषक प्रसार सेवा योजना के ....

■ **महत्त्वपूर्ण निर्णय** 23
वर्तमान सरकार के महत्त्वपूर्ण ....

■ **फ़ैसले** 28
मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय ....

योगी सरकार के एक माह के फ़ैसलों ने सरकार के चेहरे और उसके संकल्पों की दिशा को सबके सामने रखा है। किसानों के लिए सहूलियतें, कार्य संस्कृति में बदलाव और विभागीय रोडमैप तैयार कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना योगी सरकार के एजेंडे में है और सौ दिन, छह महीने और एक साल में उसे क्रमवार अपने ही निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। एक महीने में इसका आगाज भर हुआ है। एक महीने के कार्यकाल में योगी सरकार ने नियंत्रित और ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है। महज एक माह के कार्यकाल के आधार पर किसी भी नई सरकार के कामकाज का आकलन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा जरूर भांपी जा सकती है। प्रदेश सरकार के काम-काज के केन्द्र में उसका संकल्प-पत्र है और इसके लिए जहाँ बड़े फ़ैसलों से अपने वादों की प्रतिबद्धता का संदेश देने की कोशिश है वहीं सौ दिन, छह माह और साल भर के लक्ष्य पहले ही निर्धारित करने की मंशा न सिर्फ अधिकारियों बल्कि मंत्रियों को भी जवाबदेह बनाएगी।

प्रचण्ड बहुमत की उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को संतुष्ट करने में जरा भी देर नहीं की। सरकार का पहला फ़ैसला ही किसानों की कर्जमाफी के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उनकी अन्य समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसी प्रकार बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फैसले लेने में देरी नहीं की गयी। इसमें भी किसान केन्द्र में रहे। गाँवों और तहसीलों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 48 घण्टे में जले ट्रांसफार्मर बदलने के साथ ही बिजली बिल का सरचार्ज माफ करके मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 'पावर फॉर आल' योजना के तहत करार है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश के हर गाँव, हर घर तथा प्रत्येक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। योगी सरकार लोक कल्याण की राह पर है और आने वाले दिन भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ेंगे। प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि ईमानदार और पारदर्शी सरकार कैसे दिन-रात प्रदेश की सेवा में जुटी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। गाँव, ग़रीब और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाओं को हर हाल में पहुँचाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार आमजन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार, कार्यालयों के चक्कर न लगाने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार नित नये निर्णय लेकर उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

चन्द्र शेखर यादव

सम्पादक

गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के विकास से जुड़ी 261 करोड़ 62 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लेकव्यू विस्तार आवासीय योजना के अन्तर्गत तारामंडल के निकट बहुमंजिले भवन का निर्माण, रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत सर्किट हाउस के निकट पार्क का निर्माण, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण तथा चौधरी चरण सिंह निरीक्षण गृह गोरखपुर का जीर्णोद्धार/मरम्मत, केन्द्र सरकार की आई.पी.डी.एस. स्कीम को लागू करने के लिए विद्युत विभाग के पांच 33/11 के.वी. विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य तथा गोरखपुर में एल.टी. लाइन को अण्डरग्राउण्ड केबिल में बदलने के कार्य भी शामिल है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गरीब एवं मेधावी छात्रों को आई.ए.एस./पी.सी.एस. एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान किए जाने हेतु कोचिंग भवन, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 100 क्षमता वाले महिला छात्रावास, रामगढ़ ताल परियोजना में 1,000 क्षमता के बहुपयोगी प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र, परिवहन निगम के राप्तीनगर बस स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य तथा नौसढ़ में सेटेलाइट बस स्टेशन के नव निर्माण कार्य, पूर्वांचल के लोगों की आवागमन की समस्या के समाधान के लिए नन्दानगर में रेलवे लाइन के नीचे फोर–लेन अण्डरपास के निर्माण कार्य एवं सर्किट हाउस परिसर में एनेक्सी भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का सर्वांगीण विकास करना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाई है। इसलिए अब हम सबका दायित्व है कि राज्य सरकार और जनता मिलकर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें।

श्री योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश के मेधावी युवा राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी की तलाश में जाते थे। लेकिन अब हमारी सरकार नौजवानों के लिए ऐसी योजना एवं माहौल बना रही है, जिससे उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार की भी शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

वर्तमान समय में जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि सन 2018 से पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि हमने आदेशित किया है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर खराब बिजली के ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाए, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में बिजली चोरी रोकी जाए। सभी लोग अपने बिजली के बिल का भुगतान करें। हमारी सरकार ने गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों में लचर कानून व्यवस्था के कारण औद्योगिक माहौल खराब हो गया था। उद्योगपति उद्योगों में निवेश करने से डर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर यहां उद्योगों में निवेश का माहौल बनने लगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसान भाइयों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश या देश में जितनी बीमारियां है उसका मूल कारण अस्वच्छता, गरीबी एवं प्रदूषण है। इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे अब इस अभियान से जुड़े और प्रदेश को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने प्रधानमंत्री की 'नमामि गंगे' परियोजना की चर्चा करते हुए कहा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1000 कि.मी. लम्बाई में बहती है, जिसके किनारे दर्जनों शहर एवं 985 गांव बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण नदियां भी उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन इनमे लगातार बढ़ती गंदगी के कारण इनका पानी बेहद प्रदूषित होता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि इन नदियों को स्वच्छ रखें तथा भारतीय सनातन परम्परा को कायम रखें।

- मुख्यमंत्री द्वारा जनपद गोरखपुर में 261 करोड़ 62 लाख रु0 की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- प्रधानमंत्री के देश के सर्वांगीण विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए जनता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनायी है।
- प्रदेश सरकार नौजवानों के लिए ऐसी योजना एवं माहौल बना रही है, जिससे उन्हें दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- प्रदेश सरकार सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी।
- किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।
- किसान भाइयों का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- बीमारियों का मूल कारण अस्वच्छता, गरीबी एवं प्रदूषण : योगी आदित्यनाथ

सर्व समाज के कल्याण हेतु सरकार कृतसंकल्प

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक कल्याण का अर्थ–परिवार, जाति का कल्याण नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के सर्वसमाज का कल्याण है। यही वास्तविक लोकतंत्र है। ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश सरकार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करेगी कि कोई गरीब भूख से अथवा इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। पैसे के अभाव में किसी कन्या की शादी नहीं रुकेगी न ही कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अराजकता, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।

मुख्यमंत्री जनपद झांसी भ्रमण के दौरान पैरामेडिकल कॉलेज में जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बुन्देलखण्ड को एक 6–लेन एक्सप्रेस–वे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इससे बुन्देलखण्ड में उद्योगों की स्थापना की शुरुआत होगी। आने वाले वर्षों में नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता से पलायन रुकेगा।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसी भी दशा में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में माह अप्रैल 2017 में पूरा कर लिया जाए। नये हैण्डपम्प और रीबोर हैण्डपम्प को अतिशीध्र ठीक कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आंशिक दोष के कारण बंद पाइप पेयजल परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र ठीक करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ग्रामों को चिन्हित

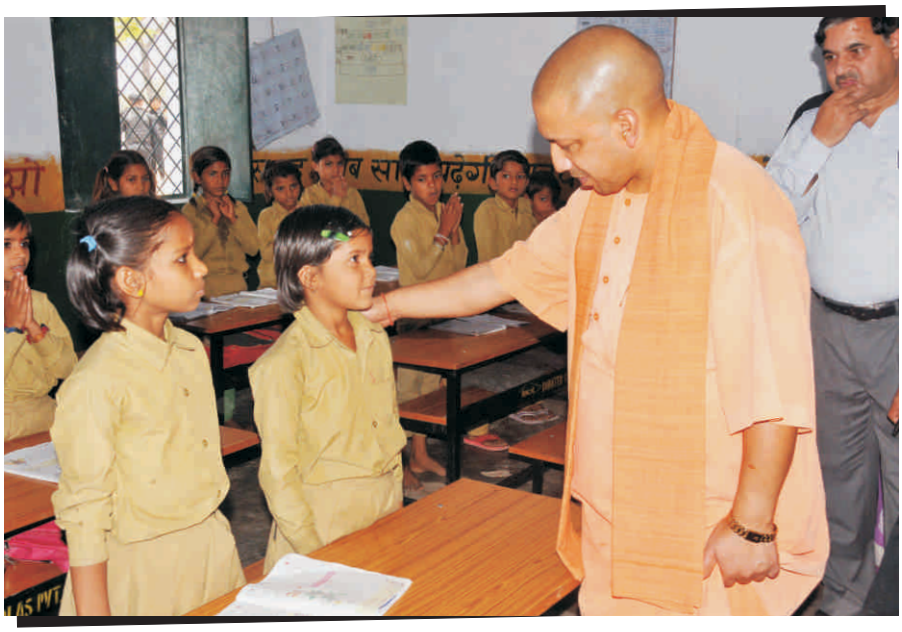

कर लिया जाए, जहां टैंकर द्वारा पानी आपूर्ति की जानी है।

श्री योगी ने कूप गहरीकरण, नये कूप के कार्यों को मनरेगा द्वारा कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक कार्य मनरेगा के माध्यम से कराया जाए। जल संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में चलाया जाए। ज्यादा से ज्यादा तालाब खुदवाए जाएं, इनमें जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। विगत तीन वर्षों में झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में खोदे गए तालाबों का टीम गठित कर सत्यापन करा लिया जाए। अपूर्ण कार्यों को प्रत्येक दशा में बरसात के पहले पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने हैण्डपम्प से निकलने वाले व्यर्थ पानी को भी रोके जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर अधिकारी जल संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम कराएं।

मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विद्युत चोरी रोके जाने हेतु एक अभियान चलाए जाने तथा लाइन हानि रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीपीएल लाभार्थियों को शिविर लगाकर निःशुल्क विद्युत संयोजन दिया जाए। उन्होंने सरचार्ज को माफ करते हुए एकमुश्त बिजली का बिल जमा करने का भी अभियान चलाने के साथ हर घर को बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने मण्डियों को व्यवस्थित करने और समस्त सुविधाओं से पूर्ण कराने तथा मण्डियों में कर चोरी को सख्ती से रोके जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मण्डियों में स्थापित सभी गेहूं क्रय केन्द्रों को क्रियाशील किया जाए तथा किसानों को उनके गेहूं के मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अतिशीघ्र कर दिया जाए। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद्यान्न की काला बाजारी को सख्ती रोके जाने तथा इसमें संलिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिकता मिला तो संज्ञेय अपराध मानते हुए बर्खास्तगी होगी। आने वाले दिनों में हर जिले का दौरा होगा।

मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किए जाने पर बल देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिक से अधिक गरीबों का इलाज किया जा सके। उन्होंने चिकित्सकों को ओ.पी.डी. में बैठने तथा जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों की फोटो और मोबाइल नम्बर केन्द्र पर चस्पा किया जाए, ताकि तीमारदारों को चिकित्सक की उपस्थिति की जानकारी हो सके।

श्री योगी ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए, जहां बच्चे कम और अध्यापक अधिक हैं। अध्यापकों की तैनाती मानक के अनुसार की जाए। इस वर्ष बच्चो को यूनिफार्म, जूते, मोजे और

बैग भी दिए जाएंगे। उन्होंने मिड–डे मील को गुणवत्ता के साथ लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डलों की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। पेशेवर अपराधियों, तस्करों, भू–माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक भूमि एवं सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ओ.पी.डी. आकस्मिक सेवाकक्ष, सीटी स्कैन कक्ष, रेडियोलॉजिस्ट कक्ष, एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, हृदयरोग केन्द्र, महिला सर्जिकल वार्ड आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। मरीजों से मिले, उनका हालचाल पूछा तथा दवाइयों आदि की भी जानकारी ली। श्री योगी ने नवीन गल्ला मण्डी का भी निरीक्षण किया एवं गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था देखी। उन्होंने किसानों से बातचीत कर गेहूं क्रय के सम्बन्ध में भी आवश्यक जानकारी ली। टाकोरी ब्लॉक बड़ागांव में अपने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना से जल संरक्षण अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य को देखा। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय टाकोरी ब्लॉक बड़ागांव में बच्चों से पढ़ाई, किताब, शिक्षा, मिड–डे मील आदि की भी जानकारी ली।

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध।**
- **6–लेन एक्सप्रेस–वे के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ा जाएगा।**
- **जल संरक्षण के कार्यो को अभियान के रूप में चलाया जाए।**
- **बीपीएल लाभार्थियों को शिविर लगाकर निःशुल्क विद्युत संयोजन के निर्देश।**
- **निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में माह अप्रैल 2017 में पूर्ण करने के निर्देश।**
- **विगत तीन वर्षो में झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल में खोदे गए तालाबों का सत्यापन कराया जाए।**
- **लोक कल्याण का अर्थ–परिवार, जाति का कल्याण नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के सर्वसमाज का कल्याण है।**
- **गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिकता मिला तो संज्ञेय अपराध मानते हुए बर्खास्तगी होगी।**
- **राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अराजकता, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटेगी।**
- **किसानों के गेहूं मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अतिशीघ्र कर दिया जाए।**
- **चिकित्सकों को ओ.पी.डी. में बैठने तथा जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश।**
- **प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों के फोटो और मोबाइल नम्बर स्वास्थ्य केन्द्र पर चस्पा किया जाए।**
- **अध्यापकों की तैनाती मानक के अनुसार की जाए।**
- **सार्वजनिक भूमि एवं सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए, पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।**

प्रत्येक ग़रीब, दलित और वंचित को बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश के हर गांव, हर खेत हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गरीब, दलित और वंचित को विकास यात्रा से जोड़ते हुए बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प ही बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को भी तेज गति से कार्य करना होगा नहीं तो विकास की दौड़ में हम पिछड़ जायेंगे।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा '24x7 पावर फॉर आल' से सम्बन्धित सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर व अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाओं के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्ति कर रहे थे। इस अवसर पर पारेषण के 8 उपकेन्द्र तथा वितरण के 15 उपकेन्द्रों का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही 10,000 सोलर पम्प लगाने, प्रदेश में 9 वॉट के एल.ई.डी. बल्ब एवं 20 वॉट की एल.ई.डी. ट्यूबलाइट के विक्रय, डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा, सभी उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नं0–1912 एवं विलम्बित भुगतान अधिभार एमनेस्टी योजना का भी शुभारम्भ किया गया।

श्री योगी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि जब तक गरीब, दलित और वंचित शिक्षित बनकर प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होंगे, तब तक उनका कल्याण व उत्थान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की अब तक की छवि एक बीमारू राज्य की थी और राज्य के बाहर लोगों की छवि उत्तर प्रदेश के बारे में यह

थी कि यहां के लोग सकारात्मक नहीं हैं और वे विकास नहीं चाहते। जबकि सच्चाई यह थी कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए मदद करना चाहती थी, किन्तु प्रदेश सरकार वह सहायता लेना नहीं चाहती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम होते ही अगर अंधेरा दिखने लगे, तो यह माना जाता था कि हम उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। हमें अब इस छवि से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर शहर की स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. लाइट में युद्धस्तर पर परिवर्तित किया गया। अब हमें इसी कार्य संस्कृति का परिचय देना होगा।

अब तक पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा मात्र 4–5 जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने पर श्री योगी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या जाति महत्त्वपूर्ण नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही अतिविशिष्ट होती है। अब हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बी.पी.एल. घरों में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नोटबन्दी के सन्दर्भ में कहा कि इस देश में जनता और खास तौर से गांव, गरीब और वंचित वर्ग में उच्च नैतिकता है। उन्होंने परेशानियों और कठिनाईयों के बावजूद नोटबन्दी का समर्थन किया। 'पावर फॉर आल' की परिकल्पना विकास की कतार में खड़े आखिरी आदमी को बिजली की आधारभूत आवश्यकता से जोड़ना है। यह 'उदय' से लेकर 'अन्त्योदय' तक की यात्रा है। अब बिजली की सुविधा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाकर पं.दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की सोच को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी निष्ठा, दायित्व व संवेदनशीलता के साथ संकल्पित होकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

केन्द्रीय ऊर्जा, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा लगता है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्नाथ के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार, कठिनाइयों, अनैतिकता व भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। सभी को न्याय मिलेगा। बगैर किसी भेदभाव के सुविधाएं जनसाधारण को उपलब्ध होंगी। आज के दिन पावर ऑफ आल सम्बन्धित एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होना एक शुभ संदेश है। आज का दिन संविधान निर्माता और शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाले बाबा साहब डॉ.भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है। उन्होंने कहा कि यह खेद का विषय है कि अब तक देश के 28 प्रदेश '24x7 पावर फॉर आल' कार्यक्रम से जुड़ चुके थे किन्तु केन्द्र सरकार के चाहने के बावजूद पिछले 3 वर्षों से यह समझौता उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हो पा रहा था। अब यह समझौता हुआ है और अच्छे दिन आएंगे। एक महीने के अन्दर '24x7 पावर फॉर आल' कार्यक्रम की तैयारी की गयी, जिसके फलस्वरूप सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत हर घर में 24 घण्टे बिजली मिलेगी। साथ ही, किसानों, हर वाणिज्यिक संस्थान और सभी उद्योगों को बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अवैध विद्युत कनेक्शन भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन यदि व्यवस्था ईमानदार हो तो यह समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने एल.ई.डी. बल्बों को लगाये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इसका लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा विद्युत उपलब्धता से उत्तर प्रदेश विकास से जुड़ेगा। यहां नये–नये उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार की तरफ से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए हर सहयोग का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, श्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि '24x7 पावर फॉर आल' कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का संकल्प सभी को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। आज इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शुभारम्भ किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के क्रियाकलापों में पारदर्शिता रहेगी। ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। ऊर्जा योजनाओं में समयबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा।

- राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश के हर गांव, हर खेत, हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है।
- प्रदेश के हर गरीब, दलित और वंचित को विकास यात्रा से जोड़ते हुए बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प ही बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि।
- पारेषण के 8 उपकेन्द्र तथा वितरण के 15 उपकेन्द्रों का लोकार्पण।
- 10,000 सोलर पम्प लगाने, प्रदेश में 9 वॉट के एल.ई.डी. बल्ब एवं 20 वॉट के एल.ई.डी. बल्ब एवं 20 वॉट के एल.ई.डी. ट्यूबलाइट के विक्रय, डिजिटल पेमेण्ट की सुविधा, सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नं0-1912 एवं विलम्बित भुगतान अधिभार एमनेस्टी योजना का भी शुभारंभ।
- हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- विद्युत उपलब्धता से उत्तर प्रदेश विकास से जुड़ेगा : केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री
- विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से हर सहयोग को आश्वासन : पीयूष गोयल
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा '24X7 पावर फॉर आल' से सम्बन्धित सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 'सर्वदा' योजना प्रारम्भ

"मुख्यमंत्री की घोषणा के 48 घण्टे के अन्दर ऊर्जा विभाग ने कम लाइन लॉस वाले 3 नगरीय क्षेत्रों में 24 घण्टे बिजली दी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कम लाइन लॉस वाले फीडरों को 24 घण्टे बिजली देने के आदेश के 48 घण्टे के भीतर ही ऐसे 74 फीडर्स को 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है। बुधवार को ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने गाजियाबाद के मोदी नगर, लोनी और बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के नगरीय क्षेत्रों में 16 बिजली घरों के अन्तर्गत 74 फीडर्स को 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की।

इस घोषणा के बाद मोदी नगर के लगभग 2 लाख, सिकन्दराबाद के 97 हजार एवं लोनी क्षेत्र के 1.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सिकन्दराबाद के नगरीय क्षेत्र एवं लोनी क्षेत्र के ट्रोनिका सिटी, अप्रैल पार्क, रूप नगर, डी.एल.एफ., लालबाग, कृष्णा विहार, कुटी एवं इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र पर स्थापित बिजली घरों के फीडर्स में तत्काल प्रभाव से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति शुरू हो गयी है।

पॉवर फॉर आल योजना के तहत अक्टूबर, 2018 से पूरे प्रदेश में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। इसके लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही, बिजली चोरी पर लगाम कसने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए प्रेरित करने और बकाया वसूली के लिए एमनेस्टी योजना भी शुरू की गयी है। एमनेस्टी योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इसके अलावा, 10 हजार रुपये से अधिक के बिल को 4 किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गयी है।

इसी क्रम में सर्वदा (स्पेशल एमनेस्टी फॉर रिस्पॉन्सिबल वॉलन्टरी डिक्लरेशन) योजना की शुरूआत की गयी है। इसके तहत, कटिया से बिजली लेने, घरेलू कनेक्शन पर कॉमर्शियल यूज करने और चोरी से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गयी है। अवैध कनेक्शन 2 महीने के अन्दर नियमित करवा ऐसे उपभोक्ता मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने राज्य को 24 घण्टे बिजली देने के लिए बकाया भुगतान करने और कनेक्शन नियमित करवाने का अनुरोध किया है। सर्वदा योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को जुर्माने और कार्रवाई से राहत दी गयी है। ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार बकाया ही चुकाना होगा।

भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में नियत प्राथमिकताओं के तहत हर जिले में एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत भू–माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके लिए 4 स्तरों पर टास्क फोर्स गठित की जाएंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होंगी।

अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाए जाने हेतु सबसे पहले शासकीय सम्पत्तियों एवं ऐसे दबंग व्यक्तियों, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय/निजी सम्पत्तियों पर येन–केन प्रकारेण कब्जा करने की है, उनको चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाएगा। अतिक्रमण को चिन्हित करने का दायित्व सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों/जनपद स्तरीय अधिकारियों को होगा, जो दो माह के भीतर अपने विभाग/प्राधिकरणों की सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमण, अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, किए गए प्रयासों एवं आ रही बाधाओं को सूचीबद्ध करेंगे तथा इस आशय की सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को चिन्हित करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।

शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा। नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई.जी.आर.एस. पोर्टल jansunvai.up.nic.in पर प्राप्त की जाएगी तथा तहसील दिवस, जनपद एवं अन्य स्तरों पर भी सीधे जा सकेगी।

अवैध कब्जा/अतिक्रमण चिन्हित करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग अपने शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जहां शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, वहां सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भूमि पर किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश/स्थगन आदेश की शरण लेकर अवैध कब्जा किया गया है, तो प्रश्नगत वाद को निस्तारित कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाएगी।

किसी शासकीय/निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा अवैध कब्जे के प्रयास को विफल किया जाएगा। यदि तत्परता से कार्यवाही करने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/प्राधिकरण/उपक्रम आदि की भूमि पर भविष्य में कोई अनाधिकृत निर्माण न हो, इसके लिए सम्बन्धित मण्डल स्तरीय/जिला स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर धार्मिक स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2009 तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। टास्क फोर्स द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश प्राप्त होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही तत्परता से की जाए एवं इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स अपने कार्यों के तहत जनपदीय स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा भू–माफियाओं के चिन्हीकरण, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जनपदवार मण्डलीय टास्क फोर्स द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक दो माह में एक बार करेगी। इसी प्रकार मण्डलीय टास्क फोर्स जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित अतिक्रमण/अवैध कब्जे एवं प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को प्रत्येक माह उपलब्ध कराएगी।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के स्वामित्व/प्रबन्धाधीन सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण/अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आगामी दो माह में अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण संकलित करना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रबन्धाधीन शासकीय/ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों का चिन्हीकरण तथा उनके हटाए जाने के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।

तहसील स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित कराएगी कि शासकीय एवं निजी भूमियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही 15 दिन के भीतर करा ली जाए और कृत कार्यवाही का विवरण वेबपोर्टल पर अंकित कर लिया जाए।

- **भू–माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।**
- **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होगी।**
- **शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा।**
- **नवीन पोर्टल विकसित होने तक शिकायतें वर्तमान आई.जी.आर.एस. पोर्टल jansunvai.up.nic.in पर प्राप्त की जाएगी।**
- **लावारिस एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जेदारों को चिन्हित करने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।**
- **किसी शासकीय या निजी भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की जाएगी।**

मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर मण्डल की क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जी.डी.ए. के सभागार में मण्डल की क़ानून–व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि थाने की बागडोर उसे दी जाए, जो परिणाम दे, चाहे वह उपनिरीक्षक हो या निरीक्षक। उन्होंने कहा कि थानों पर परिश्रमी, निष्ठावान तथा समर्पण भाव से कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए, जो क़ानून–व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकें।

मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह भी कहा कि वे प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जन–समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें और उसके बाद अपने क्षेत्र, पुलिस चौकियों तथा थानों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जिन थानों पर आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां आगन्तुक कक्ष बनाने के लिए जन सहयोग तथा विधायक निधि का उपयोग कर इसका निर्माण करवाएं। थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों के साथ सद्व्यवहार करें और उनकी समस्याओं/शिकायतों को गंभीरता से सुनें तथा उनका निराकरण करें।

बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि गुण्डों, असामाजिक तत्वों एवं माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है। सभी पुलिसकर्मी निडर होकर न्यायोचित कार्य करें और किसी के दबाव में न आएं। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद की प्रत्येक तहसील पर एक अग्निशमन केन्द्र और मुख्यालयों पर न्यूनतम 3 अग्निशमन केन्द्र बनाने के लिए शासन को अतिशीघ्र प्रस्ताव भेजें। बैठक में एण्टी रोमियो स्कवायड पर भी चर्चा हुई, जिस पर आई.जी. पुलिस श्री मोहित अग्रवाल ने सुझाव दिया कि लड़कियों के स्कूलों के गेटों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दीवारों पर यह सूचना कि 'आप कैमरे की जद में हैं', लिखी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की।

- **थानों पर परिश्रमी, निष्ठावान तथा समर्पण भाव से कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए, जो कानून–व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकें।**
- **पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रातः 9 से 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जन–समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण भी सुनिश्चित करें।**
- **पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र, पुलिस चौकियों तथा थानों का नियमित निरीक्षण करें।**
- **गुण्डों, असामाजिक तत्त्वों एवं माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है।**
- **पुलिसकर्मी थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों के साथ सद्व्यवहार करें।**

समाज कल्याण लाभार्थियों

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ–साथ इस विभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने कहा कि इसके तहत लागू की जा रही योजनाओं से लाभान्वित किए जा रहे लाभार्थियों का सत्यापन किया जाए। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ दिया जाए, ताकि इनमें धन की कमी आड़े न आए और ये सुचारु और प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा सकें।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे–वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन तथा वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध करायी जा रही 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करने के उपरान्त कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए इसके तहत पात्रता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, वे इसके पात्र हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्रों को ही दिया जाए। उन्होंने इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के दौरान दिया गया। इस योजना के तहत अति दलित जैसे–मुसहर, नट, कंजड़ आदि तथा बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए, उन्हें लाभान्वित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जतायी।

श्री योगी ने अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के तहत पात्रता के विषय में जानकारी लेते हुए कहा कि इस योजना को सामूहिक विवाह योजना के रूप में लागू किए जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे गरीब कन्याओं का दहेजरहित विवाह हो सकेगा और दहेज रूपी कुप्रथा के विरुद्ध काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह करने पर खर्च भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम 'कन्यादान योजना' रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं को भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि इससे केन्द्र सरकार से धन मिलने में आसानी होगी और इन्हें लागू करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए लागू पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की कमियों को दूर करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें व्याप्त गड़बड़ियों को दूर कर, इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस योजना के सम्बन्ध में कोई शिकायत न मिले। उन्होंने इस योजना के तहत विमुक्त जातियों जैसे–भर, कोरी इत्यादि को लाभान्वित करने की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लागू पूर्वदशम छात्रवृत्ति की कमियों को भी दूर करते हुए प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लागू दशमोत्तर छात्रवृत्तियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रचलित छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2017–18 हेतु छात्रवृत्ति मास्टर डाटा को अपडेट करने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अत्याचार उत्पीड़न के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने से पहले यह सुनिश्चित की लिया जाए कि इसका दुरुपयोग न होने पाए।

की विभिन्न योजनाओं के के सत्यापन के निर्देश

- विभागीय योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं से जोड़ा जाए।
- मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन तथा वद्धावस्था पेंशन की मासिक धनराशि को दोगुना करने के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
- पिछली सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए इसकी पात्रता की जांच के निर्देश।
- शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर कन्यादान योजना रखा जाए।
- प्रचलित छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन करने के निर्देश।
- वर्ष 2017-18 हेतु छात्रवृत्ति मास्टर डाटा को अपडेट किया जाए।
- छात्रावासों के संचालन की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
- अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में एक विशेष कल्याण योजना तैयार की जाए।
- मद्यनिषेध विभाग अपने दायित्व भली-भांति निभाए।

उन्होंने कहा कि पीड़ित की मदद चार्जशीट के बाद समयबद्ध ढंग से की जाए।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा छात्रावासों के विषय में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इनका संचालन भली-भांति किया जाए और इनकी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए, ताकि विद्यार्थी पूरे मनोयोग से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ सकें। उन्होंने इनकी कार्य प्रणाली की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों के संचालन की स्थिति का भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने थारू जनजाति तथा सोनभद्र सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में एक विशेष कल्याण योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई इत्यादि की व्यवस्था की जाए। मौके पर जाकर स्थिति का आकलन किया जाए, ताकि इन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सामाजिक आयोग के गठन पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा निर्गत कल्याण कार्ड में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अंकन के सम्बन्ध में कहा कि इसे बी.पी.एल. कार्ड से जोड़ते हुए इसका लाभ लाभार्थियों को दिया जाएगा।

श्री योगी ने 100 दिन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में मौजूद वृद्धाश्रमों की व्यवस्था ठीक की जाए। जहां पर परिवार मौजूद है, ऐसी दशा में माँ-बाप को पेंशन योजना के तहत आच्छादित कर लाभान्वित किया जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ ही रह सकें और उन्हें वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति असहाय हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में रखा जाए, उनका सत्यापन भी किया जाए। उन्होंने मठ, मन्दिरों में रहकर संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के तहत संचालित योजनाओं को केन्द्र से लिंक करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके तहत योजना बनाते समय सभी मापदण्डों का ध्यान रखा जाए। सैनिक कल्याण के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की हर माह बैठक की जाए। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि विभाग अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वाह करे। जनजाति विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातियों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है, इसे तुरन्त ठीक किया जाए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि जनजातियों का श्रेणीकरण ठीक से किया जाए। उन्होंने जनजातियों के सम्बन्ध में हर जिले से रिपोर्ट मंगाकर, उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मातृ, शिशु में सुधार के

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का प्रस्तुतिकरण देखते हुए कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए पोषण विशिष्ट तथा पोषण संवेदनशील हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृ एवं बाल कुपोषण को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। राज्य सरकार मातृ, शिशु एवं किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लोक कल्याण संकल्प–पत्र में उल्लिखित शबरी संकल्प अभियान की रूप रेखा अगले 100 दिन के अन्दर तैयार कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इसके माध्यम से अगले 5 साल में प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की उन्नति एवं विकास तभी सम्भव है, जब वहां के निवासी स्वस्थ, सबल हों। स्वस्थ और क्षमतावान जनशक्ति की उपलब्धता तभी सम्भव है, जब मातृ एवं शिशु दोनों स्वस्थ होंगे।

श्री योगी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार के तहत लाभार्थियों का शत–प्रतिशत सत्यापन कर उनकी अद्यतन सूची तैयार कर उसके डिजिटाइजेशन के निर्देश दिये, ताकि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराये जा रहे लाभ का रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके। प्रस्तुतिकरण के दौरान बाल विकास पुष्टाहार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे–राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना 'सबला', किशोरी शक्ति योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्थिति, आई.सी.डी.एस. सिस्टम सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (स्निप), हौसला पोषण फीडिंग योजना के साथ–साथ सामुदायिक जागरूकता, सहभागिता तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए किये जा रहे प्रयासों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री ने बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राज्य से कुपोषण जैसी व्याधि से निपटने के लिए जी जान से कार्य करें और मातृ, शिशु तथा किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ–साथ कुपोषण को समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

एवं किशोरियों के स्वास्थ्य

- **इसके माध्यम से अगले 5 साल में प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।**
- **मुख्यमंत्री ने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।**
- **मुख्यमंत्री के समक्ष बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन का प्रस्तुतिकरण।**

श्री योगी ने राज्य पोषण मिशन का प्रस्तुतिकरण देखते हुए कहा कि प्रदेश में कुपोषण की स्थिति काफी गम्भीर है। ऐसे में इसके प्रभावों से निपटने के लिए इसके कारणों का पता लगाना होगा, ताकि इसे जड़ से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम सही समय पर की जाए तो इससे निपटा जा सकता है। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों का वजन लेने के साथ–साथ उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए, जबकि उनकी माताओं के रक्तचाप और खून तथा वजन की भी जांच की जाए। इसमें ग्राम प्रधान की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शबरी संकल्प पोषण योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि जन्म के समय किसी भी बच्चे का वजन ढाई किलो से कम न हो। उन्होंने इसके लिए लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही खाद्य सामग्री के नमूनों का प्रस्तुतिकरण के दौरान स्वयं निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि कुपोषण से निपटने के लिए सबसे पहले इससे प्रभावित गांवों को चिन्हित किया जाए, तत्पश्चात इससे लड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने पोषण जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।

लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करके ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित भी न हो। आधार कार्ड से सम्बद्ध करके लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ही किया जाए। उन्होंने यह निर्देश भी दिये कि प्रदेश के विधानमण्डल द्वारा विगत 20–25 वर्षों में पारित कानूनों के सम्बन्ध में नियमावलियां बनाकर लागू की गयीं या नहीं, इसका अध्ययन करा लिया जाए। साथ ही, ऐसे कानून जो वर्तमान स्थितियों में अनुपयोगी हो गये हैं, को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराये जाने के लिए डी.पी.आर. का पुनरीक्षण करा लिया जाए। कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. में कार्यों को समय पर न पूरा करने की स्थिति में पेनाल्टी क्लॉज का प्रावधान भी किया जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लोक कल्याण पत्र 2017 के अन्तर्गत भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए उन्होंने वृहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये, कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिये जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये दिये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए विभागीय मंत्री और मंत्रिमण्डल की सभी महिला मंत्री महिला संगठनों के साथ बैठक करें। उन्होंने अनिवार्य विवाह पंजीकरण हेतु नियमावली के प्रख्यापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का भी निर्देश दिया।

श्री योगी ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से महिला सामाख्या कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने के बाद इस कार्यक्रम को गुजरात राज्य सरकार की भांति राज्य के बजट से संचालित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने

का निर्देश दिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कारों की तारीफ की और निर्देश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा और ऐसी महिलाओं जिनके पति शराबी हैं और उनका कोई अन्य आय का स्रोत भी नहीं है, की सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बाल संरक्षण योजना तथा महिला शरणालयों में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सभी विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रारम्भिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहायता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को दिये जाने वाली पुरस्कार राशि को 11,000 से बढ़ाकर 51,000 करने, दहेज पीड़ित महिलाओं को प्रति माह 125 रुपये की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर प्रथम चरण में 500 रुपये करने तथा दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के रूप में एकमुश्त मिलने वाली 2,500 रुपये की सहायता धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के निर्देश दिये।

श्री योगी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया कि मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गठित, अंग्रेजी आदि की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हज यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। विभाग द्वारा चलाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सेज संचालित किये जाने चाहिए। साथ ही, आधुनिक तकनीकी के अनुसार नये कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि छात्र कोर्सेज की मान्यता आदि को लेकर किसी प्रकार के धोखे के शिकार न हों। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण योजना के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिये कि उच्च गुणवत्ता के छात्रावासों का निर्माण कराया जाना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि छात्रावासों का लाभ विद्यार्थियों को मिले और उनका दुरुपयोग न हो।

- **लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करके ही लाभ उपलब्ध कराया जाए।**
- **कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न हो।**
- **आधार कार्ड से सम्बद्ध करके लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित की जाए।**
- **वर्तमान स्थितियों में अनुपयोगी हो गये कानूनों को समाप्त किया जाए।**
- **कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. में कार्यों को समय पर न पूरा करने की स्थिति में पेनाल्टी क्लॉज का प्रावधान किया जाए।**
- **भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए वृहद प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।**
- **सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी ।**
- **मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश।**
- **अनिवार्य विवाह पंजीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश।**
- **मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए।**
- **मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।**
- **अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर के लिए भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश।**
- **पिछड़ा वर्ग विभाग छात्रवृत्ति योजना तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए।**

सरकारी पदों पर भर्तियों के दौरान योग्यता का सम्मान करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्री भवन में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान इस विभाग के उच्चाधिकारियों को विभिन्न कृषि कॉलेजों इत्यादि में मौजूद रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकारी पदों पर भर्तियों के दौरान योग्यता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के तहत संचालित कृषि कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में धान की ऐसी कई प्रजातियां हैं, जिनकी गुणवत्ता, स्वाद और महक उत्कृष्ट है, परन्तु इन प्रजातियों को और बेहतर बनाने के लिए न ही कोई शोध हुआ और न ही इनके ब्राण्ड को प्रमोट करने की दिशा में कोई कार्य हुआ। उन्होंने कहा कि धान की ऐसी प्रजातियों को उन्नतशील बनाने की दिशा में कार्य करते हुए इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के तहत चलने वाले कॉलेजों का विवरण दिया गया। इसके तहत स्थापित शोध केन्द्रों, शोध एवं प्रसार गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों ने बताया कि फसलों की उन्नतशील प्रजातियों तथा कृषि की नवीन तकनीकों के विकास के लिए 11 शोध एवं उप शोध केन्द्र संचालित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विगत 5 वर्षों में शोध तथा प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत स्थापित विभिन्न विज्ञान केन्द्रों तथा संचालित कॉलेजों में कराए जा रहे पठन–पाठन में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की

आवश्यकता है। उन्होंने मेरठ, बांदा तथा इलाहाबाद के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के विषय में भी जानकारी ली तथा इन्हें और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

श्री योगी ने उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण देखते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अधिक से अधिक कॉलेज/प्रोग्राम का आई.सी.ए.आर. से एक्रिडिटेशन कराया जाए जिससे इन्हें आई.सी.ए.आर. तथा अन्य संस्थाओं से अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो सके और विश्वविद्यालयों को ब्राण्ड के रूप में पहचान मिले।

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों की क्षमता के अनुरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक–एक सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों में चिन्हित कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि के चिन्हीकरण एवं इसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में आई. सी.ए.आर. की निरीक्षण समिति से निरीक्षण कराए जाने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति जताई।

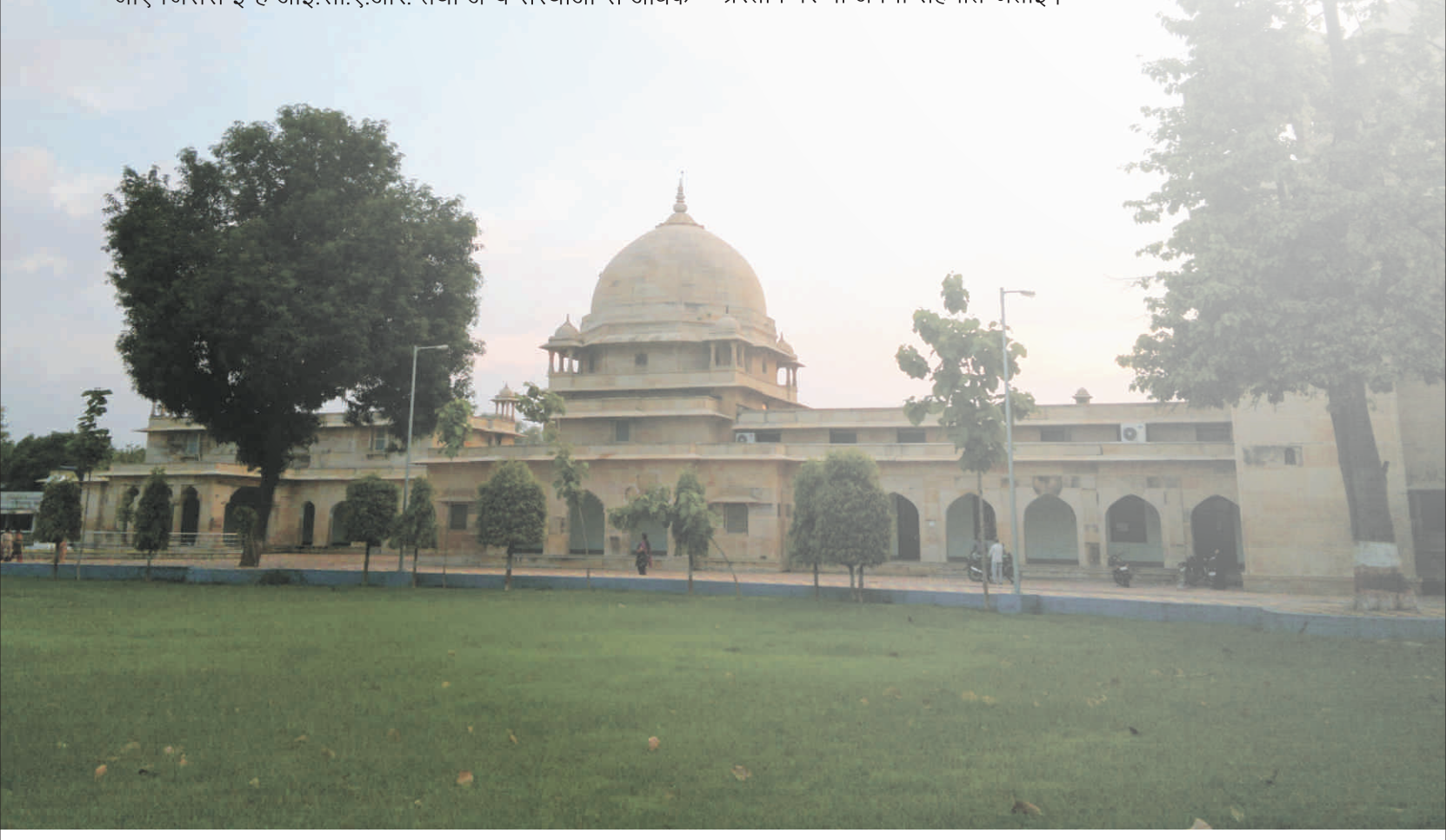

- **मुख्यमंत्री ने कृषि कॉलेजों इत्यादि में मौजूद रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।**
- **सरकारी पदों पर भर्तियों के दौरान योग्यता का सम्मान होना चाहिए।**
- **कृषि विश्वविद्यालयों के तहत संचालित कृषि कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के भी निर्देश ।**
- **मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल की उत्कृष्ट धान प्रजातियों को उन्नतशील बनाते हुए उन्हें ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश।**

कृषक प्रसार सेवा योजना के सुचारू रूप से संचालन के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को समय से खाद एवं बीज का वितरण निर्धारित दर में पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। प्रदेश में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु ब्लॉक स्तर पर सहकारी ग्रामीण गोदाम खोलने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाने के साथ–साथ किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। किसानों को सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को प्रत्येक दशा में प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शास्त्री भवन में सहकारिता विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद की व्यवस्था का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ कराकर किसानों को लाभान्वित कराने के हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समस्त इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों को मुहैया कराने के निर्देश दिए।

श्री योगी ने कहा कि किसानों की कृषि उपज, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण एवं परिवहन की आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करायी जाएं। कृषक प्रसार सेवा योजना का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित कराकर किसानों को अनाज भण्डारण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में कुशल तकनीकी कर्मियों द्वारा प्राथमिकता पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित भवनों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ तय समय–सीमा में पूर्ण कराने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण अवश्य किए जाएं।

- **सहकारी समितियों द्वारा किसानों को समय से खाद एवं बीज का वितरण निर्धारित दर में पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराया जाए।**
- **प्रदेश में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु ब्लाक स्तर पर सहकारी ग्रामीण गोदाम खोलने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जाए।**
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समस्त इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों को मुहैया कराने के निर्देश।**
- **कृषक प्रसार सेवा योजना का सुचारु संचालन कराएं।**
- **किसानों को अनाज भण्डारण एवं सुरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाए।**

वर्तमान सरकार ...त्वपूर्ण ...र्णय एवं निर्देश

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तर प्रदेश की जनता में खुशी की जबरदस्त लहर दौड़ गयी थी, लोगों के अंदर स्वतः ही न्याय की उम्मीदें जाग गई थीं। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों व निर्देशों पर एक नजर :

प्रशासन

- प्रदेश का बजट तैयार करने में लोक कल्याण संकल्प–पत्र के बिन्दुओं को ध्यान में रखे जाने का निर्णय।
- आम जनता को निर्धारित समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विभाग को सिटीजन चार्टर तैयार करने के निर्देश।
- प्रदेश सरकार द्वारा जाति, पंथ, मजहब आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होने का संकल्प पारित।
- अनिवार्य विवाह पंजीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश।

कानून व्यवस्था

- गौ–तस्करी पर अविलम्ब पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया गया।

- महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार न करने के दिये निर्देश।
- समस्त सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्त्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं किशोरियों के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
- अपराधियों, तस्करों, भू–माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश।
- युवक और युवती आपसी सहमति से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान न करने के निर्देश।
- पुलिस जनता से सीधा संवाद स्थापित कर छोटी से छोटी घटनाओं का भी संज्ञान लेने के निर्देश।
- सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने के निर्देश।
- उत्पीड़न और एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर भी शीघ्रता से कार्यवाही किए जाने के निर्देश।
- प्रत्येक जनपद में एण्टी रोमियो स्क्वायड के गठन और संचालन सम्बन्ध प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- सस्ती दर पर उपलबध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकाने खोलने की व्यवस्था करने के निर्देश।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 40 जनपदों में योग वेलनेस सेण्टर स्थापित होंगे।
- आगामी 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर लखनऊ में 51 हजार व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित कराकर सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।

कृषि एवं किसान

- गेहूँ खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया गया।
- 31 मार्च, 2016 तक प्रदेश के 86 लाख से अधिक लघु व सीमान्त किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसका 31 मार्च, 2017 को अचुकता अवशेष लगभग 36,000 करोड़ रूपये माफ किया गया।
- फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा प्रति किसान एक लाख रूपये होगी।
- निर्धारित अवधि में अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिल मालिकों के विरूद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.।
- आगामी 100 दिवसों में सठियाव एवं स्नेहरोड सहकारी चीनी मिलों में नई आसवनी एवं एथनाल प्लाण्ट का हो होगा लोकार्पण।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- अवैध खनन की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार बनाए गए।
- अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिए मंत्री समूहों का गठन किया गया।
- प्रदेश में अवैध खनिज व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया।
- खनन पट्टों के लिए ई–टेण्डरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया पूरी किए जाने के निर्देश।

मेट्रो रेल

- इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झाँसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश।

धर्मार्थ कार्य

- मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के 50 हजार रूपये के आर्थिक अनुदान को बढ़ाकर एक लाख रूपये किए जाने की घोषणा।
- तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के आस–पास तथा लखनऊ के उपयुक्त स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण का निर्णय।
- आगामी 15 जून तक प्रदेश के समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का अभियान।

ई-टेण्डरिंग

- सभी विभागों में ई–टेण्डरिंग को लागू कर व्यवस्था को स्वच्छ, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के निर्देश।

नगर विकास

- गोमती रिवरफ्रन्ट परियोजना को 'नमामि गंगे' परियोजना से जोड़कर गोमती नदी में गिरने वाले सभी गन्दे पानी के नालों को बन्द करने के निर्देश।
- प्रदेश में संचालित अवैध पशु वधशालाओं को बंद करने

एवं यांत्रिक पशु वधशालाओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला।

- नगरों की सिटी बस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने के निर्देश।
- नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए फेरी नीति बनायी जाएगी, जिसके तहत खोमचे, ठेले तथा रेहड़ी वालों को रजिस्टर करके उनका पुनर्वास किया जाएगा।
- जे.एन.यू.आर.एम. के तहत जल निगम द्वारा आवंटित कार्यों की नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर जाँच करने का निर्णय।
- गोरखपुर मे ंसॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को तत्काल लागू किया जाएगा।

शिक्षा

- शैक्षिक संस्थानों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की तत्काल तैनाती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश।
- शैक्षणिक सत्र को नियमित करने, परीक्षा परिणाम समय से घोषित करने और शैक्षणिक संस्थाओं में नकल को सख्ती से से रोकने के निर्देश दिए गए।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना

- नई उद्योग नीति के बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है।
- उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश।
- 5,000 कि.मी. राज्य मागों को नेशनल हाईवे बनाए जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजे जाएं।
- जनपद गोरखपुर में 262 करोड़, 62 लाख रूपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।

परिवहन

- सभी गाँवों को मिनी बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण सेवा प्रदान करने के निर्देश।
- कानपुर एवं बरेली में ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना आगामी 100 दिनों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य।
- रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडेन्टिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से प्रदेश के बाहर से आने व जाने वाले वाहनों के परिवहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

पशुधन विकास

- राज्य में संचालित 'मछुआ आवास योजना' का नाम बदलकर 'निषाद राज गुह्य आवास योजना' करने के निर्देश दिए गए।
- गोरखपुर में पशु–चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने के निर्देश।
- दुधारू जानवरों से दूध लेकर उन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देने वाले गोपालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

पर्यावरण

- गंगा नदी के निर्मलीकरण, अविरलता और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश।
- ग्रीन कवर में वृद्धि एवं ईको–टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

सामाजिक सरोकार

- अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर के लिए भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश।
- विकलांग जन विकास विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग किया गया।
- विकलांग जन के 300 रूपए के मासिक अनुदान को बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया गया।
- विभागों में विकलांग जन के कोटे के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश।
- समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए इसके तहत पात्रता की जाँच की जायेगी।
- 'शादी अनुदान योजना' का नाम बदलकर 'कन्यादान योजना' रखा गया।
- अनुसूचित जन–जातियों के लिए एक विशेष कल्याण योजना तैयार की जाएगी।
- 'भाग्य लक्ष्मी योजना' को लागू करने के लिए वृहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
- मातृ और शिशु मृत्यु दर में और बेहतर नतीजे प्राप्त करने की कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश।

राजस्व

- बिना किसी जाँच–पड़ताल के भूमि की रजिस्ट्री तथा एक ही भूमि की रजिस्ट्री बार–बार किए जाने की

घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनेगी।

- हर जिले में एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय।
- भू–माफियाओं द्वारा जब्त की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर एवं उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर टास्क फोर्स गठित होगी।
- शासकीय/निजी भूमि/भवनों पर हो रहे अवैध कब्जों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जाएगा।

व्यापार

- व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा।

आबकारी

- उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वराज्य मार्गों में पड़ने वाली प्रदेश की 8,544 आबकारी दुकानों को शहर के बस्ती, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों एवं चिकित्सालयों से निर्धारित दूरी पर ही प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, कलियर शरीफ, देवा शरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्य निषेध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित न होने पर सम्बन्धित अधिकारी दण्डित होंगे।
- काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी, श्री कृष्ण जन्म स्थल, मथुरा एवं इलाहाबाद में संगम परिधि के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन होगा।
- पुलिस थानों और यू.पी.–100 की कार्य प्रणाली को और चुस्त–दुरूस्त बनाए जाने का निर्णय।
- प्रदेश में आगामी चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 30,000 सिपाहियों की चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया को भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा।

ग्राम्य विकास

- समग्र ग्राम्य विकास विभाग का ग्राम्य विकास विभाग में विलय किया जाएगा।

बुन्देलखण्ड

- बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या के समाधान के लिए हैण्डपम्पों की स्थापना, रि–बोरिंग एवं पाइप पेयजल की योजनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य पूरे कराए जाने के निर्देश।
- बुन्देलखण्ड मे वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 14 सामूहिक नलकूप, 159 ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेक डैम, 116 तालाबों का निर्माण सहित 1208 नए डम वेल का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराएं जायेंगे।
- प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार 100–100 चेक डैम बनाए जायेंगे।

पंचातीराज

- प्रदेश की 59 हजार ग्राम पंचायतों में से लगभग 3,500 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है तथा दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपद खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। प्रदेश सरकार का यह भी संकल्प है कि 02 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये।

अवस्थापना

- 15 जून, 2017 तक प्रदेश की 86 हजार कि.मी. सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें लगभग 4,500 करोड़ का व्यय अनुमानित है। साथ ही लगभग 3 हजार कि.मी. राष्ट्रीय मार्ग का मरम्मत कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन

- सरकारी कार्यालयों तथा स्कूलों में लागू 15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में परिवर्तित किया गया। यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 से ही लागू।
- महापुरूषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्त्व, कृतित्त्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घंट की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला।
- सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घंट की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला।

जन संचयन

- आगामी 100 दिनों में अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों हेतु मास्टर रिचार्ज प्लान बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुए 190 तालाबों का

पुनरूद्धार एवं 95 चेक डैमों का निर्माण प्रत्येक दशा में कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ऊर्जा

- प्रदेश के हर घर में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए 24x7 पावर फॉर आल सहमति–पत्र पर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के मध्य करार हुई।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए टोल–फ्री नम्बर 1012 शुरू किया गया है ताकि वे अपनी बिलिंग, मीटरिंग, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकें। ग्रामीण उपभोक्ता अब अपनी समस्याओं का निराकरण 5616195 नम्बर पर एस.एम. एस. भेजकर भी करा सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के एक करोड़ उपभोक्ताओं को भी ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। पूर्व में यह सुविधा 168 नगरों के मात्र 60 लाख उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org पर डिजिटल ई–पेमेण्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।
- छात्र–छात्राओं की परीक्षा अवधि में सायं 07:00 से प्रातः 06:00 बजे तक विद्युत कटौती न किये जाने के निर्देश दिए गए।
- हाई–टेंशन विद्युत तारों से फसलों में लगने वाली आग से हुए नुकसान का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को एक सप्ताह के अंदर दिया जाएगा।
- जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील व बुन्देलखण्ड को 20 घण्टे तथा गाँवों को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाएगी।
- क्षतिग्रस्त ट्रॉन्सफार्मर्स को शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदला जाएगा।
- अगले 100 दिनों में 05 लाख नए विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे।
- अक्टूबर 2018 तक प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को 24x7 प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने लगेगी। कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति के घण्टों को आवश्यकतानुसार प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- प्रदेश के हर घर को समयबद्ध सीमा के अंतर्गत वर्ष 2019 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 10 हजार सोलर पम्प लगाए जायेंगे।

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही

मंत्रिपरिषद को प्रदेश में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही के विषय में अवगत कराया गया है। यह केन्द्र लखीमपुर–खीरी, हरदोई, आजमगढ़, जौनपुर, बदायूं, सुल्तानपुर, बहराइच, मुरादाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, हापुड़, शामली, सम्भल, अमेठी, कासगंज, श्रावस्ती, अमरोहा एवं इलाहाबाद में स्थापित किये जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूर्ण वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 14 जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा भूमि की उपलब्धता से अवगत कराया गया है। शेष जनपदों में भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में वर्तमान में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कुल 49 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं। इसके तहत कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में 12, फैजाबाद में 17, मेरठ में 13, बांदा में 6 तथा इलाहाबाद में 1 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित एवं संचालित हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 5, वेटेनरी विश्वविद्यालय मथुरा के अन्तर्गत 1, बी.एच.यू. वाराणसी के अन्तर्गत 1, अन्य शिक्षण संस्थानों के तहत 2 तथा गैर सरकारी संस्थाओं के तहत 11 कृषि विज्ञान केन्द्र

कार्यरत हैं। इस प्रकार, प्रदेश में कुल 69 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं।

फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को उ.प्र. में मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' को उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आयुक्त मनोरंजन कर की आख्या एवं पूर्व प्रदर्शन समिति की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–11(1) के अन्तर्गत 'अन्य लोकहित के आधार पर' तथा शासनादेश दिनांक 13 जून, 2000 एवं दिनांक 17 जनवरी, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार लिया गया है।

फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' के सम्बन्ध में आयुक्त, मनोरंजन कर द्वारा अवगत कराया गया है कि यह फिल्म राजमाता विजयाराजे सिंधिया का राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण के साथ–साथ देशवासियों को समाज सेवा एवं महिला सशक्तीकरण के लिए प्रेरित करती है।

गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर क्रमशः 'महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल' एवं 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल' किये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में राज्य विधान सभा में पारण हेतु संकल्पों के आलेख्य को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि अनुमोदित संकल्पों को राज्य विधान सभा में पारित कराकर यथा प्रक्रिया प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2 वर्षो के लिए लागू करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 अर्थात 2 वर्षों के लिए लागू किये जाने का निर्णय लिया है। योजना को वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के खरीफ मौसम में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर की फसल तथा रबी मौसम में गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों व आलू फसल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल के नष्ट होने की स्थिति तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों में खेत में कटी हुई फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अधिसूचित फसल के उत्पादक फसली ऋण लेने वाले सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित किया जाएगा। फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी।

खाद्य फसलें– अनाज व दलहन, तिलहन हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि के 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु डेढ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जाएगा। खरीफ एवं रबी की वार्षिक नकदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो, तक सीमित रखा जाएगा।

कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर्गत की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाएगा।

फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति का आंकलन बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आंकलित किया जाएगा। बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक खाते में जमा करायी जाएगी।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी व महराजगंज में केले की फसल तथा जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर–खीरी, बाराबंकी, मिर्जापुर व बरेली में मिर्च की फसल को ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर बीमित किया जाएगा। योजनान्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी, बीमित राशि, प्रीमियम की धनराशि, प्रीमियम पर अनुदान आदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुरूप ही क्रियान्वित होंगे। योजना हेतु चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र लगाते हुए कम वर्षा/अधिक वर्षा, कम व अधिक तापमान आदि के प्रतिदिन के आंकड़ों को एकत्रित कराकर योजना के प्राविधानों के अनुसार क्षति का आकलन

करते हुए कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कम्पनियों को क्रिन्वायक अभिकरण के रूप में नामित किया जाएगा।

प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जोखिमों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6–7 जनपदों के 12 समूहों में बांटा जाएगा तथा निविदा के माध्यम बीमा कम्पनियों का चयन करते हुए योजना को प्रदेश में संचालित कराया जाएगा।

फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं कृषकों को समय से बीमा की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन दोनों योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा कृषकों का समय से योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है, उन स्थितियों में चयनित बीमा कम्पनियों के विरुद्ध अर्थ–दण्ड लगाये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

'विकलांगजन विकास विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने 'विकलांगजन विकास विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस विभाग का नाम परिवर्तित कर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग कर दिया गया है, जबकि प्रदेश में इस विभाग का नाम विकलांगजन विकास विभाग है। ऐसी स्थिति में एकरूपता बनाये रखने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से विकलांगजन में हीनभावना कम होगी और वह स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे।

15 सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा

महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/ गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का फैसला

महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेण्ट एक्ट, 1881 से भिन्न 15 सार्वजनिक अवकाशों, जिसमें कतिपय पर्व आदि एवं महापुरुषों की जन्म तिथियों/पुण्य तिथियों पर घोषित सार्वजनिक अवकाशों को निर्बन्धित अवकाशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह निर्णय कैलेण्डर वर्ष 2017 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों पर लागू माना जाएगा। इसके अलावा, महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसरों पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रेरणाप्रद सीखों को वर्तमान युवा पीढ़ी में प्रचारित व प्रसारित करने के उद्देश्य से कम से कम एक घण्टे की सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है। महापुरुषों के जन्म दिवस एवं पुण्य तिथि के दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने की स्थिति में उसके एक दिन पूर्व सम्बन्धित महापुरुष के सम्बन्ध में सभा/गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाएगी।

विधान मण्डल का सत्र आगामी 15 मई से आहूत किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने 15 मई, 2017 से विधान मण्डल का सत्र आहूत किए जाने का निर्णय लिया है।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु जनपद चन्दौली स्थित सिंचाई विभाग की भूमि का अन्तरणकरने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना के लिए जनपद चन्दौली स्थित सिंचाई विभाग की कुल 0.1898 हेक्टेयर भूमि का अन्तरण, 97 लाख 62 हजार 400 रुपए मात्र सिंचाई विभाग को भुगतान के उपरान्त डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना को किए जाने का फैसला लिया है।

गोरखपुर की कॉरपोरेट पार्क परियोजना में सिंचाई विभाग के जीर्ण–शीर्ण निरीक्षण भवन व भूमि को प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कॉरपोरेट पार्क परियोजना के मध्य स्थित 3.54 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग के जीर्ण–शीर्ण निरीक्षण भवन व भूमि को प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उक्त भवन व भूमि की उपयोगिता सिंचाई विभाग के लिए शून्य है। प्रेक्षागृह के निर्माण से सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन होगा, जिससे जन–सामान्य लाभान्वित होंगे।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अन्नदाता की खुशहाली और समृद्धि के पर्व बैसाखी

पर

सभी प्रदेश वासियों को ढेर सारी

शुभकामनाएं और बधाईयाँ

गेहूँ खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1625 प्र.कु. + ₹10 परिवहन हेतु तय

बढ़ रही सुनहरी बालियों की चमक, जीवन में हो खुशियों की धमक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

प्रदेश की जनता को गुणवत्तापरक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

के कर–कमलों द्वारा

जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस

का

शुभारम्भ

दिनांक: 13 अप्रैल, 2017 | स्थान: 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

टोल फ्री नम्बर: 18001805145, 18001801900
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश